अध्याय 9: संयुक्त भौतिक निरीक्षण

9.1 प्रस्तावना

इं.आ.यो. के कर्यान्वयन का निर्धारण करने हेतु लेखापरीक्षा दलों द्वारा संबंधित विभागों के स्टाफ की उपस्थिति में 29,923 लाभार्थियों के परिसरों में सयुंक्त भौतिक निरीक्षण किए गए थे तथा उनको एक प्रश्नावली का उत्तर देने का अनुरोध किया गया था। मानकीकृत प्रश्नावली में व्यक्तिगत लाभार्थी वर्णन, भुगतान का माध्यम, जानकारी का स्तर, अभिसरण के माध्यम से मूल सुविधाओं की उपलब्धता, आदि के पहलू शामिल थे। लाभार्थियों से अन्य बातों के साथ निम्नलिखित पर इनपुट प्रदान करने का निवेदन किया गया था;

- निर्माण की स्थिति तथा जारी निधियों के विवरण
- परिवारो (प.) मे उपलब्ध सुविधाओं का प्रकार
- घर रूपरेखा संरचना की गुणवत्ता तथा वांछनीय विशिष्टताएं
- भुगतान का माध्यम
- जानकारी का स्तर
- सरकार/गै.स.सं. द्वारा प्रदत्त विशेषज्ञ राय/सूचना
- वासभूमि स्थल की योजना से संबंधित मामले

9.1.1 बाधाएं

लेखापरीक्षा ने इस कार्य में कुछ बाधाओं का सामना किया जिनका नीचे सारांश दिया गया है;

- **आन्ध्र प्रदेश** में, राज्य में व्यापक तेलगांना विरोधी आन्दोलन के कारण केवल दो जिलों (करीमनगर तथा खम्माम) का निरीक्षण किया जा सका था तथा **मेघालय** में पूर्वी गारो हिल्स जिला के ब्लाक सांगसक में कानून व्यवस्था की समस्या के कारण लाभार्थियों तक पहुंचा नहीं जा सका।

- चूंकि पंचायत/विभागीय कर्मचारियों की उपस्थिति में निरीक्षण किए गए थे तथा उत्तर प्राप्त किए गए थे इसलिए संभव है इसने लाभार्थियों के उत्तर में कुछ दवाब उत्पन्न किए हो।
- यदि लाभार्थी की मृत्यु सहित किसी भी कारण से लाभार्थी उपलब्ध नहीं थे तो परिवार के दूसरे सदस्य को प्रश्नावली का उत्तर देने का अनुरोध किया गया था। ऐसे मामले में, वास्तविक लाभार्थी के विचार, दर्ज किए गए विचार से अलग हो सकते हैं।
- जिस जनसंख्या में से नमूने का चयन किया गया था उसमें केवल लाभार्थी शामिल थे। संभावित लाभार्थियों या इं.आ.यो. में शामिल न हुए व्यक्ति निरीक्षण में शामिल नहीं किए गए थे।

सयुंक्त भौतिक निरीक्षण के निष्कर्षों पर अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है :-

9.2 लाभार्थियों की जागरूकता का स्तर

9.2.1 प्राथमिकता सूची के अनुसार आवंटन

29,923 लाभार्थियों में से, 15,482 (52 प्रतिशत) लाभार्थी के चयन हेतु प्राथमिकता सूची से अवगत थे। तथापि, **गोवा, जम्मू एवं कश्मीर, नागालैण्ड, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह** तथा **लक्षद्वीप** में कोई भी लाभार्थी प्राथमिकता सूची से अवगत नहीं था। इसके अतिरिक्त, **बिहार** 372(1,647 का 23 प्रतिशत), **गुजरात** 654 (2,008 का 33 प्रतिशत), **झारखण्ड** 321 (1,199 का 27 प्रतिशत) **केरल** 82 (318 का 26 प्रतिशत), **मणिपुर** 122 (816 का 15 प्रतिशत), **ओडिशा** 503(1293 का 39 प्रतिशत), **त्रिपुरा** 294 (624 का 47 प्रतिशत), तथा **पश्चिम बंगाल** 279(600 का 47 प्रतिशत) में 50 प्रतिशत से कम लाभार्थी प्राथमिकता सूची से अवगत थे।

दूसरी तरफ, **हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, राजस्थान, उतराखण्ड, दादरा एवं नागर हवेली** तथा **दमन एवं दीव** के मामले में प्राथमिकता सूची स्तर के संबंध में जागरूकता अधिक थी (70 से 100 प्रतिशत के बीच)।

9.2.2 इं.आ.यो. की प्रतीक्षा सूचियां

कुल 11,422 लाभार्थी (38 प्रतिशत) लाभार्थी के चयन हेतु तैयार प्रतीक्षा सूची से अवगत थे जबकि 10,660 लाभार्थियों (36 प्रतिशत) को प्रतीक्षा सूची तैयार करने की पद्धति का ज्ञान था।

अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, तथा **केरल** में लाभार्थियों के चयन हेतु तैयार प्रतीक्षा सूची के संबंध में जागरूकता स्तर 25 प्रतिशत से कम था। तथापि, **गोवा, जम्मू एवं कश्मीर, नागालैण्ड, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह** तथा **लक्षद्वीप** में कोई भी लाभार्थी प्रतीक्षासूची से अवगत नहीं था।

दूसरी ओर, **छतीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, तमिलनाडु, उत्तराखण्ड, दादरा एवं नागर हवेली** तथा **दमन एवं दीव** में जानकारी का स्तर 60 से 100 प्रतिशत के बीच था।

9.2.3 ब्या.वि.द. योजना के अंतर्गत ऋण की जानकारी

इं.आ.यो. के अंतर्गत प्रदत्त सहायता के अतिरिक्त एक लाभार्थी ब्याज की विशिष्ट दर (ब्या.वि.द.) योजना के अंतर्गत चार प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर ₹20,000 प्रति अवासीय इकाई तक ऋण प्राप्त कर सकता था।

केवल 1,400 लाभार्थियों (कुल लाभार्थियों का 4.86 प्रतिशत) ने बताया कि वह ब्या.वि.द. योजना से अवगत थे। **अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू एवं कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, पजांब, उत्तर प्रदेश,** तथा **दमन एवं दीव** से किसी भी लाभार्थी को ब्या.वि.द. योजना के संबंध में ज्ञान नही था। तथापि, **तमिलनाडु** के मामले में 37 प्रतिशत लाभार्थियों को ब्या.वि.द. योजना के संबंध में जानकारी थी जबकि **आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश** तथा **उतराखण्ड** के मामले में जागरूकता का स्तर क्रमश: 23, 29 तथा 10 प्रतिशत था। शेष राज्यों/सं.शा.क्षे. हेतु जागरूकता का स्तर 10 प्रतिशत से नीचे था।

इसके अतिरिक्त, कुल लाभार्थियों के केवल 0.92 प्रतिशत (275) ने ब्या.वि.द. योजना के अंतर्गत ऋण हेतु आवेदन किया था तथा कुल लाभार्थियों के 0.38 प्रतिशत (115) ने ऋण प्राप्त किया था।

9.3 भुगतान का माध्यम

इं.आ.यो. के दिशानिर्देशों के अनुसार, इं.आ.यो. के अंतर्गत निधियों को केवल बैंक अथवा डाक घर में लाभार्थियों के खाते में सीधे अंतरण किया जाना चाहिए।

2,132 मामलों (सात *प्रतिशत*) में बैकिंग करेसपोन्डेन्ट, 917 मामलों (तीन *प्रतिशत*) में नगद, 746 मामलों (दो *प्रतिशत*) में अन्य माध्यमों तथा 42 मामलों (0.14 *प्रतिशत*) में पोस्टल आर्डर के माध्यम के बाद कुल 22,946 लाभार्थियों (77 *प्रतिशत*) ने बैंक/डाक घर खाते के माध्यम से वित्तीय सहायता की प्राप्ति का उत्तर दिया। **मणिपुर** में 816 में से 521 लाभार्थियों (64 प्रतिशत) तथा **मिजोरम** में 150 में से 82 लाभार्थियों (55 प्रतिशत) ने बताया कि उन्होने नगद में भुगतान प्राप्त किया था। नगद भुगतान के कुछ मामले **त्रिपुरा** (116), **आन्ध्र प्रदेश** (49), **असम** (64), **छत्तीसगढ** (दो), **हिमाचल प्रदेश** (दो), **मध्य प्रदेश** (2), **तमिलनाडु** (77), **पश्चिम बंगाल** (एक) तथा **लक्षद्वीप** (एक) में भी सूचित किए थे।

9.4 इं.आ.यो. सूचना पट्ट का प्रदर्शन

इं.आ.यो. के दिशानिर्देशों के अनुसार, संबधित जिला परिषद/जि.ग्रा.वि.अ. को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्माण किए गए प्रत्येक घर हेतु एक सूचना पट्ट लगाया जाना चाहिए जो भारत सरकार ग्रामीण आवास लोगो, निर्माण के वर्ष, लाभार्थी के नाम आदि को दर्शाए।

निरीक्षण किए कुल घरो के 65 *प्रतिशत* (19,465) में इं.आ.यो. सूचना पट्ट दर्शाए नहीं गए थे। **असम, गोवा, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तर प्रदेश, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, दादरा एवं नागर हवेली** तथा **दमन एवं दीव** में निरीक्षण किए गए घरों के 90 *प्रतिशत* अथवा अधिक में इं.आ.यो. सूचना पट्ट उपलब्ध नहीं था। **आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, बिहार, छतीसगढ़, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल** तथा **लक्षद्वीप** में इं.आ.यो. सूचना पट्ट की गैर-उपलब्धता 50 से 89 *प्रतिशत* के बीच थी।

गुजरात, महाराष्ट्र तथा **मिजोरम** में इं.आ.यो. निरीक्षण किए गए घरों के क्रमश: 82.58 तथा 55 *प्रतिशत* में सूचना पट्ट उपलब्ध था।

अधिकांश मामलों में इं.आ.यो. के अंतर्गत निर्माण किए गए घरों पर इं.आ.यो. सूचना पट्ट की गैर-उपलब्धता ने इं.आ.यो. के दिशा-निर्देशों के अनुबंधों की अनुपालना में विफलता को दर्शाया।

9.5 घर के निर्माण में ठेकेदार की नियुक्ति

इं.आ.यो. के दिशानिर्देशों के अनुसार इं.आ.यो. के अन्तर्गत रहने हेतु किसी इकाई के निर्माण के लिए किसी ठेकेदार की नियुक्ति नहीं की जानी थी।

गुजरात (139), **आन्ध्र प्रदेश** (20), **कर्नाटक** (नौ), **महाराष्ट्र** (46), **ओडिशा** (आठ) तथा **तमिलनाडू** (दो) लाभार्थियों ने बताया कि इं.आ.यो. घरों के निर्माण के दौरान ठेकेदारों को लगाया गया था।

9.6 घरों में सुविधाएं

इं.आ.यो. के दिशानिर्देशों के अनुसार, घरों को मौसमी स्थितियों तथा पर्याप्त स्थान, रसोई घर, वायुसंचार, स्वच्छता सुविधाएं, धुंआरहित चूल्हा आदि प्रदान करने की आवश्यकता तथा सामुदायिक बोध, प्राथमिकताएं तथा सांस्कृतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए लाभार्थियों की इच्छा के अनुसार डिजाईन किया जाना चाहिए था।

रसोई घर केवल 13,279 लाभार्थियों (44 प्रतिशत) ने बताया कि उनके घरों में रसोईघर की सुविधा उपलब्ध थी। **बिहार, झारखण्ड, नागालैण्ड** तथा **उत्तर प्रदेश** में रसोई घर की सुविधा केवल छः प्रतिशत अथवा कम में उपलब्ध थी। **असम** में किसी भी लाभार्थी ने रसोई घर की सुविधा की उपलब्धता का उत्तर नहीं दिया था। इसके अतिरिक्त, **गोवा** (95 प्रतिशत), **महाराष्ट्र** (90 प्रतिशत) तथा **मिजोरम** (97 प्रतिशत) में अधिक लाभार्थियों ने उत्तर दिया कि उनके घरो में रसोई घर की सुविधा उपलब्ध थी।

धुंआरहित चूल्हा-केवल 4,822 लाभार्थियों (16 प्रतिशत) ने बताया कि उनके घरों में धुआंरहित चूल्हा उपलब्ध था। **अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू**

एवं कश्मीर, झारखण्ड, मणिपूर, नागालैण्ड, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह तथा **लक्षद्वीप** में यह सुविधा या तो उपलब्ध नहीं थी या फिर एक प्रतिशत से कम में उपलब्ध थी। दूसरी ओर धुंआरहित चूल्हा, **गोवा** (98 *प्रतिशत*), **महाराष्ट्र** (70 *प्रतिशत*) तथा **तमिलनाडू** (63 *प्रतिशत*) में अधिक संख्या में उपलब्ध था।

वायु संचार- केवल 19,738 लाभार्थियो (66 *प्रतिशत*) ने बताया कि उनके घरों में वायु संचार की सुविधा उपलब्ध थी। अरूणाचल प्रदेश (28 *प्रतिशत*), मणिपुर (4 *प्रतिशत*), नागालैण्ड (24 *प्रतिशत*), पंजाब (24 *प्रतिशत*) तथा दमन एवं दीव (8 *प्रतिशत*) में वायु संचार कम था।

स्वच्छता- केवल 11,543 लाभार्थियों (39 प्रतिशत) में बताया कि उनके घर में स्वच्छता की सुविधा थी। छः राज्यों। सं.शा.क्षे. अर्थात **बिहार, झारखण्ड, नागालैण्ड, ओडिशा, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह** तथा **दादरा एवं नागर हवेली** में परिस्थिति खराब थी जहां स्वस्छता की सुविधा 10 प्रतिशत से कम घरों में उपलब्ध थी।

दूसरी ओर **गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम, तमिलनाडू, उत्तराखण्ड** तथा **लक्षद्वीप** में लाभार्थियों के 52 से 92 *प्रतिशत* ने बताया कि उनके घरो में स्वच्छता की सुविधा उपलब्ध थी।

जल निकासी- केवल 8,007 लाभार्थियों (27 *प्रतिशत*) ने बताया कि उनके घरों में जल निकासी उपलब्ध थी। **असम, अरूणाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, मणिपूर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, राजस्थान, त्रिपूरा, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव** तथा **लक्षद्वीप** में 10 प्रतिशत से कम लाभार्थियों ने उनके घरों में जल निकासी की अनुपलब्धता का उत्तर दिया।

घरों में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की सुविधाओं की प्रतिशतता को **चार्ट-10** में दर्शाया गया है;

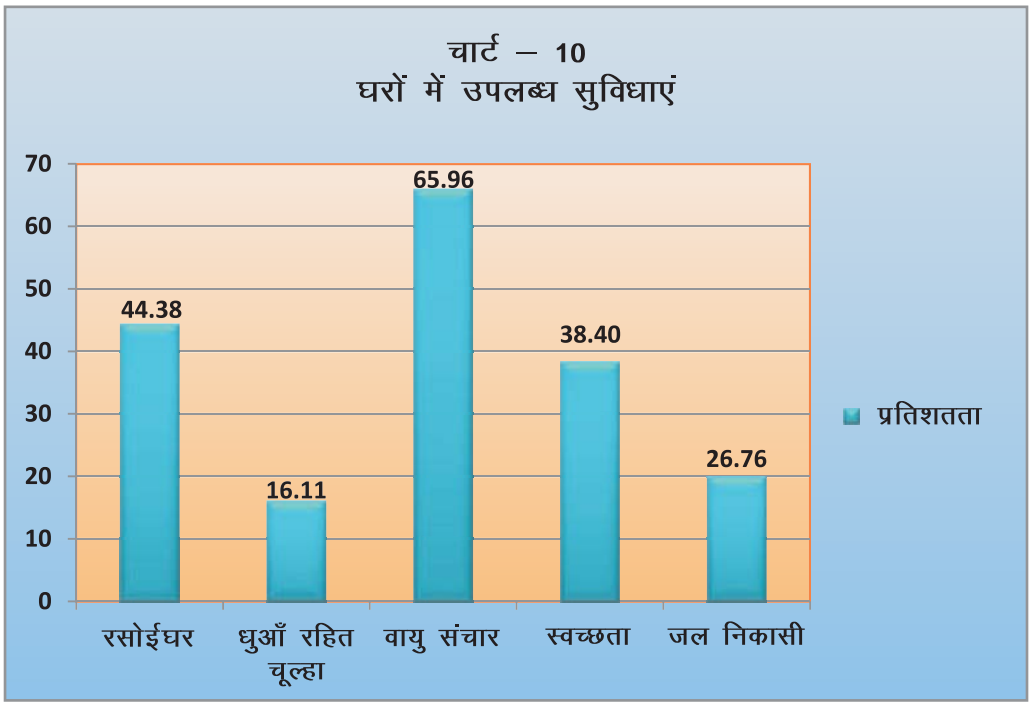

9.7 सरकार/गै.स.सं. द्वारा प्रदत्त विशेषज्ञ राय/सूचना

9.7.1 अभिनव सामग्री का उपयोग- केवल 2,360 लाभार्थियों (कुल लाभार्थियों का आठ प्रतिशत) ने बताया कि सरकार/गै.स.स. ने घर के निर्माण में अभिनव सामग्री के उपयोग पर विशेषज्ञ राय/सूचना प्रदान की गई थी। **आन्ध्र प्रदेश, छतीसगढ़, झारखण्ड, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल** तथा **दादरा एवं नागर हवेली** के सिवाय अधिकांश राज्यों/ सं.शा.क्षे. में किसी भी लाभार्थी ने उत्तर नहीं दिया था कि उन्होने अभिनव सामग्री के उपयोग पर विशेषज्ञ राय/सूचना प्राप्त की है। **दादरा एवं नागर हवेली** (100 *प्रतिशत*), **आन्ध्र प्रदेश** (90 *प्रतिशत*) तथा **त्रिपुरा** (70 *प्रतिशत*) में लाभार्थियों की अधिक संख्या ने उत्तर दिया कि सरकार/ गै.स.सं. ने इसके संबंध में विशेषज्ञ राय/सूचना प्रदान की थी।

9.7.2 निम्न लागत सामग्री के प्रापण पर- केवल 2,577 लाभार्थियों (कुल लाभार्थियों का नौ प्रतिशत) ने बताया कि सरकार/गै.स.सं. ने निम्न लागत सामग्री के प्रापण के संबध में विशेषज्ञ राय/सूचना प्रदान की थी। **आन्ध्र प्रदेश, छतीसगढ़, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, तमिलनाडू, त्रिपूरा, पश्चिम बगांल, दादर एवं नागर हवेली** तथा **लक्षद्वीप** के सिवाय राज्यों

में किसी भी लाभार्थी ने यह नहीं बताया कि उन्होंने निम्न लागत सामग्री के प्रापण के संबंध में विशेषज्ञ राय/सूचना प्राप्त की थी।

आन्ध्र प्रदेश (कुल 660 लाभार्थियों का 93 *प्रतिशत*), **त्रिपुरा** (कुल 624 लाभार्थियों के 96 *प्रतिशत*) तथा **दादरा एवं नागर हवेली** (20 लाभार्थियों के 100 *प्रतिशत*) में 90 प्रतिशत से अधिक लाभार्थियों ने बताया कि उन्होने निम्न लागत सामग्री के प्रापण के संबध में विशेषज्ञ राय/सूचना प्राप्त की थी।

9.7.3 निर्माण डिजाईन के संबध में- केवल 3,267 लाभार्थियों (कुल लाभार्थियो का 11 प्रतिशत) ने उत्तर दिया कि सरकार गै.स.सं. ने इं.आ.यो. के अंतर्गत घर के निर्माण डिजाईन के संबध में सूचना प्रदान की थी। **असम, अरूणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, मध्य प्रदेश, मणिपुर**, **मिजोरम**, **नागालैंड**, **पंजाब**, **राजस्थान**, **उत्तर प्रदेश**, **उत्तराखण्ड, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह** तथा **दमन एवं दीव** में किसी भी लाभार्थी ने उत्तर नहीं दिया था कि उन्होने इं.आ.यो. के घरों के निर्माण डिजाईन के संबंध में विशेषज्ञ राय/सूचना प्राप्त की थी।

दो राज्यों तथा एक सं.शा.क्षे. अर्थात **दादरा एवं नागर हवेली** (20 लाभार्थियों का 100 *प्रतिशत*), **आन्ध्र प्रदेश** (660 लाभार्थियों का 95 *प्रतिशत*) **तथा त्रिपुरा** (624 लाभार्थियों का 81 *प्रतिशत*) में अधिक लाभार्थियों ने उत्तर दिया कि उन्होने निर्माण डिजाईन के संबंध में सूचना/विशेषज्ञ राय प्राप्त की थी।

9.7.4 लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी- केवल 2,658 लाभार्थियों (नौ प्रतिशत) ने उत्तर दिया कि उन्होने लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी के संबंध में सरकार/गै.स.सं. से सूचना/विशेषज्ञ से राय प्राप्त की थी। **आन्ध्र प्रदेश, छतीसगढ़, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, दादरा एवं नागर हवेली** तथा **लक्षद्वीप** के सिवाय राज्यो/सं.शा.क्षे. से किसी भी लाभार्थी ने लागत प्रभावी पर प्रौद्योगिकी के संबध में सूचना/विशेषज्ञ राय प्राप्त नहीं की थी। तथापि, **दादरा एवं नागर हवेली** (20 का 100 *प्रतिशत*), **त्रिपुरा** (624 का 96 *प्रतिशत*) तथा **आन्ध्र प्रदेश** (660 का 88 *प्रतिशत*) में

लाभार्थियों की अधिक संख्या ने इस प्रौद्योगिकी के संबंध में सरकार/गै.स.सं. से विशेषज्ञ राय प्राप्त की थी।

9.7.5 आपदा प्रतिरोधी प्रौद्योगिकी- केवल 2,483 लाभार्थियों (आठ प्रतिशत) ने उत्तर दिया कि उन्होने आपदा प्रतिरोधी प्रौद्योगिकी के संबंध में सूचना/विशेषज्ञ राय प्राप्त की थी। **आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, तमिलनाडू, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, दादर एवं नागर हवेली** तथा **लक्षद्वीप** के सिवाय अधिकांश राज्यों/सं.शा.क्षे. में किसी भी लाभार्थी ने इस प्रौद्योगिकी के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं की थी।

9.8 अभिसरण

इं.आ.यो. के दिशानिर्देशों के अनुसार, यह सुनिश्चित किए जाने हेतु सभी प्रयास किए जाने थे कि प्रत्येक इं.आ.यो. के घर को पू.स्व.अ. के साथ अभिसरण में स्वच्छ शौचालय, रा.गां.ग्रा.वि.यो. के साथ समन्वय द्वारा बिजली तथा रा.ग्रा.ज.आ.का. के अंतर्गत कार्यो के अभिसरण के माध्यम से पेय जल प्रदान किया गया था।

इसके अतिरिक्त, जि.ग्रा.वि.अ. को जिले में संबंधित नोडल अभिकरण को प्रत्येक माह सभी इच्छुक लाभार्थियों के विवरण प्रस्तुत करने थे। जिससे कि लाभार्थी बीमा नीतियों के अंतर्गत उपलब्ध लाभों को प्राप्त करें।

9.8.1 पूर्ण स्वच्छता अभियान (पू.स्व.अ.) के साथ अभिसरण

केवल 1,844 (छः *प्रतिशत*) ने उत्तर दिया कि उन्होने पू.स्व.अ. के साथ अभिसरण में स्वच्छ शौचालय की सुविधा प्राप्त की। इसके अतिरिक्त, **अरूणाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, मिजोरम, नागालैण्ड, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव** तथा **लक्षद्वीप** से किसी भी लाभार्थी ने पू.स्व.अ. से सहायता की प्राप्ति का उत्तर नहीं दिया था। दो राज्यो अर्थात **त्रिपुरा** (33 *प्रतिशत*) तथा **महाराष्ट्र** (22 *प्रतिशत*) में लाभार्थियों की अधिक संख्या ने स्वच्छता सुविधाओं हेतु पू.स्व.अ. से सहायता प्राप्त की थी।

9.8.2 राजीव गांधी ग्रामीण विधुतीकरण योजना (रा.गां.ग्रा.वि.यो.) के साथ अभिसरण

केवल 4,187 लाभार्थियों (16 प्रतिशत) में उत्तर दिया कि उन्हे रा.गां.ग्रा.वि.यो. के साथ अभिसरण में उनके घरों में विजली कनेक्शन प्रदान किए गए थे। **अरूणाचल प्रदेश, छत्तीससगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, मणिपूर, नागालैण्ड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, दादरा एवं नागर हवेली** तथा **दमन एवं दीव** में किसी भी लाभार्थी ने अथवा एक प्रतिशत से कम लाभार्थियों ने बिजली कनेक्शन हेतु रा.गां.ग्रा.वि.यो. से सहायता प्राप्त की। **मध्य प्रदेश** तथा **राजस्थान** में 57 तथा 51 प्रतिशत लाभार्थियों ने बिजली कनेक्शन हेतु रा.गां.ग्रा.वि.यो. से सहायता प्राप्त की।

9.8.3 राष्ट्रीय ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (रा.ग्रा.ज.आ.का.) के साथ अभिसरण

केवल 2,246 लाभार्थियों (आठ प्रतिशत) ने उत्तर दिया कि उन्होने पेय जल हेतु रा.ग्रा.ज.आ.का. से सहायता प्राप्त की थी। **अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, मिजोरम, नागालैण्ड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड़, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह** तथा **दादरा एवं नागर हवेली** में किसी भी लाभार्थी ने अथवा एक *प्रतिशत* से कम लाभार्थियों ने उनके घरो पर पेय जल आपूर्ति हेतु रा.ग्रा.ज.आ.का. से सहायता की प्राप्ति का उत्तर दिया। शेष राज्यों/सं.शा.क्षे. की तुलना में **आन्ध्र प्रदेश** (32 *प्रतिशत*), **पंजाब** (35 *प्रतिशत*) **तथा राजस्थान** (32 *प्रतिशत*) में लाभार्थियो की अधिक संख्या ने रा.ग्रा.ज.आ.का. से सहायता प्राप्त की।

9.9 जी.बी.नि. से सहायता

केवल 701 लाभार्थियों (दो प्रतिशत) ने उत्तर दिया कि उन्हे जी.बी.नि. की बीमा योजना के अंतर्गत शामिल किया गया था। 19 राज्यों/सं.शा.क्षे. अर्थात **अरूणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, हरियाण, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, मणिपूर, मिजोरम, नागालैण्ड, पजांब, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव** तथा **लक्षद्वीप** में किसी भी लाभार्थी ने उन्हे जी.बी.नि. के अतंर्गत

शामिल किए जाने का उत्तर नहीं दिया था। इसके अतिरिक्त **असम, गुजरात, मेघालय, तमिलनाडु** तथा **पश्चिम बंगाल** में एक प्रतिशत से कम में जी.बी.यो की बीमा योजना का लाभ उठाया था।

दूसरी ओर, **आन्ध्र प्रदेश** (15 प्रतिशत), **छत्तीसगढ़** (नौ प्रतिशत), **झारखण्ड** (छः प्रतिशत), **मध्य प्रदेश** (आठ प्रतिशत) तथा **महाराष्ट्र** (10 प्रतिशत) में स्थिति थोड़ी अच्छी थी।

बीमा योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों का कम आवृतन दर्शाता है कि जि.ग्रा.वि.अ. बीमा योजनाओं से प्राप्त किए जाने वाले लाभों के संबध में लाभार्थियों के बीच जानकारी उत्पन्न करने में विफल था।

9.10 घर रूपरेखा प्रकार की गुणवत्ता तथा वांछनीय विशिष्टताएं

यह वांछनीय था कि घर में घरेलु कार्यों को करने हेतु पर्याप्त स्थान, एक बरामदा, सीढियां तथा वर्षा जल एकत्रण प्रणाली होनी चाहिए।

केवल 14,426 लाभार्थियों (48 प्रतिशत) ने उत्तर दिया कि उनके घरों में बरामदा उपलब्ध था तथा 4,330 लाभार्थियों (15 प्रतिशत) ने उत्तर दिया कि सीढियों का निर्माण किया गया था। तथापि, 1,229 लाभार्थियों (कुल लाभार्थियों का चार प्रतिशत) ने उत्तर दिया कि उनके घरो में वर्षा जल एकत्रण सुविधा उपलब्ध थी। **अरूणाचल प्रदेश, बिहार, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, महाराष्ट्र, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह तथा दमन एवं दीव** में किसी भी लाभार्थी ने यह उत्तर नहीं दिया कि उनके घरों में वर्षा जल एकत्रण सुविधा उपलब्ध थी।

कुल 19,914 लाभार्थियों (67 प्रतिशत) ने उत्तर दिया कि संबधित राज्य सरकार द्वारा भौगोलिक स्थिति अथवा अन्य प्रतिमानों को ध्यान में रखते हुए इं.आ.यो. के घर के निर्माण हेतु कोई विनिर्देश अधिसूचित नहीं किया गया था, केवल 4,016 लाभार्थियों (13 प्रतिशत) ने उत्तर दिया कि उनके घरों का निर्माण सरकारी विनिर्देशों के अनुसार किया गया था तथा 5,360 लाभार्थियों (18 प्रतिशत) ने उत्तर दिया कि उनके घरो का निर्माण विनिर्देशों के अनुसार नहीं किया गया था।

इसके अतिरिक्त, छः राज्यों/सं.शा.क्षे. अर्थात् **आन्ध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, नागालैण्ड, त्रिपुरा तथा अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह** में सभी लाभार्थियों ने उत्तर दिया कि राज्यों/सं.शा.क्षे. ने घर के निर्माण हेतु विनिर्देशों को अधिसूचित किया था परंतु इन राज्यों के 21 से 100 प्रतिशत लाभार्थियों ने उत्तर दिया कि उनके घरो का निर्माण विनिर्देशों के अनुसार नही किया गया था।

9.11 वासभूमि स्थलों हेतु योजना

केवल छः राज्यों अर्थात् **बिहार, छत्तीससगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान** तथा **पश्चिम बंगाल** में वासभूमि स्थल ग्रामीण ग.रे.नी. के परिवारों को प्रदान किए गए थे जैसा इन राज्यों में नमूना लाभार्थियों द्वारा सूचित किया गया था। सयुंक्त भौतिक निरीक्षण में इस योजना के अंतर्गत शामिल लाभार्थियों की संख्या में **राजस्थान** में एक से **छत्तीससगढ़** में 113 तक भिन्न है।

केवल 246 लाभार्थियों (उपर्युक्त उल्लेखित छः राज्यो में 8,930 लाभार्थियों का तीन प्रतिशत) को घर के निर्माण हेतु वासभूमि स्थल प्रदान किए गए थे। **बिहार** तथा **राजस्थान** में, एक प्रतिशत से भी कम मामलों में लाभार्थियों को वासभूमि स्थल प्रदान किए गए थे।

शेष राज्यों/सं.शा.क्षे. में लेखापरीक्षा ने वासभूमि स्थल के अतंर्गत लाभार्थी नहीं पाए थे।